राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

पहला वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के बारे में

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गया। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड/ संस्थान) की स्थापना भारत में लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपने 8 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि नैबफिड को आरबीआई द्वारा क्रमशः आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा।

नैबफिड से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जीवन चक्र में एक प्रदाता, सक्षमकर्ता और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक सहायक, प्रौद्योगिकी सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की उम्मीद कि जाति है। नैबफिड के विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं। विकासात्मक उद्देश्यों में भारत या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना शामिल है, ताकि दीर्घकालिक गैर- घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजार सहित भारत में सहारा अवसंरचना वित्तपोषण वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना और भारत में स्थित या आंशिक रूप से भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना शामिल है ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

निदेशक मंडल (20 अक्टूबर, 2022 तक)

1. श्री. के. वी. कामथ, अध्यक्ष
2. श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री. बी. श्रीराम, स्वतंत्र निदेशक
4. श्री. टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक
5. श्री. पंकज जैन, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक (सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
6. श्रीमती सुमिता डावरा, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक (विशेष सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)
7. श्री. राजकिरण राय जी., प्रबंध निदेशक
8. श्री. बी. एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी
9. श्रीमती मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियुक्ति और यह कार्यभार- ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी)

बोर्ड समितियां (20 अक्टूबर, 2022 तक)

लेखा परीक्षा समिति

श्री. टी. एन. मनोहरन, अध्यक्ष
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन
श्रीमती सुमिता डावरा

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री. बी. श्रीराम, अध्यक्ष
श्री. के. वी. कामथ
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन
श्री. टी. एन. मनोहरन
श्री. राजकिरण राय जी.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष
श्री. बी. श्रीराम
श्री. टी. एन. मनोहरन
श्री. पंकज जैन

कार्यकारी समिति

श्री. राजकिरण राय जी., अध्यक्ष
श्री. बी. श्रीराम
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन
श्रीमती मोनिका कालिया (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित इंडक्शन और यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा)

सामान्य जानकारी

कार्यालय पता:

स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400051

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
505,506 और 507, 5 वीं मंजिल, हब टाउन विवा,
शंकर वाडी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
अंधेरी और जोगेश्वरी (पूर्व) के बीच,
मुंबई - 400060

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (इक्विटी शेयर):

सैटेलाइट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
106 और 107, दत्तानी प्लाजा, ईस्ट वेस्ट कंपाउंड,
अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पूल साकीनाका,
मुंबई – 400072

विशेष कार्य अधिकारी:

- श्री. किशोर कुमार पोलुदासु (सेकेंडमेंट पर 16 नवंबर 2021 से प्रभावी 2 सितंबर 2022 तक)
- श्री. प्रबोध पारिख (8 अगस्त, 2022 से प्रतिनियुक्ति पर)

कंपनी सचिव:

- सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे (2 फरवरी, 2022 से 18 सितंबर, 2022 तक सेकेंडमेंट पर और 19 सितंबर, 2022 से प्रतिनियुक्ति पर)

वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वित्तीय प्रदर्शन

मुख्य वित्तीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- वित्त वर्ष 2022 के अंत में संस्थान की जमा और निवेश के रूप में संपत्ति 25,122 करोड़ रुपये थी।
- संस्थान ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान मुख्य रूप से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में सावधि जमा और निवेश पर अर्जित ब्याज से, 119.70 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की । 7 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, संस्थान की 20,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी केंद्र सरकार को आवंटित की गई थी। संस्था की संपूर्ण शेयरधारिता भारत सरकार के पास है।

अनुदान

भारत सरकार ने 31 मार्च 2022 को संस्थान को 5000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया।

लाभांश

पहले वर्ष को ध्यान में रखते हुए, जिसमें संस्थान परिचालन के चरण में है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संस्थान का व्यवसाय बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, जिसमें भारी परिव्यय की आवश्यकता होती है, बोर्ड ने संस्थान के मुनाफे को वापस लेने के लिए विवेकपूर्ण माना और संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कोई लाभांश की घोषणा नहीं की है।

निदेशक मंडल की संरचना

संस्था के निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (नैबफिड अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित है।

31 मार्च, 2022 तक, संस्थान के बोर्ड में निम्नलिखित तीन निदेशक शामिल थे:

1. श्री. के. वी. कामथ (डीआईएन:00043501) ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट, 27 अक्टूबर, 2021 के केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुरूप संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण किया।

2. श्री. पंकज जैन (डीआईएन:00675922), पूर्व अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और वर्तमान में सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 8 नवंबर, 2021 से प्रभावी नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(घ) के अनुरूप 8 नवंबर, 2021 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत संस्थान के निदेशक के रूप में नामित।

3. श्रीमती सुमिता डावरा (डीआईएन:01005516), पूर्व अतिरिक्त सचिव और वर्तमान में विशेष सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(घ) के अनुरूप 8 नवंबर, 2021 की केंद्र सरकार के अधिसूचना के माध्यम से संस्थान के निदेशक के रूप में नामित, 8 नवंबर, 2021 से प्रभावी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद संस्था के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. निदेशक मंडल ने 9 अप्रैल, 2022 को हुई अपनी बैठक में आवश्यक छानबिन बाद लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(च) के अनुरूप श्री. टी. एन. मनोहरन (डीआईएन:01186248) और श्रीमती अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन:03523267) को 10 अप्रैल, 2022 से पांच साल की अवधि के लिए संस्थान के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी।

2. 4 जून 2022 को हुई अपनी बैठक में आवश्यक छानबिन के बाद लागू नियमों और विनियमों के सा पठित नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(च) के अनुरूप श्री. बी. श्रीराम (डीआईएन:02993708) को 5 जून, 2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए संस्थान के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी।

3. निदेशक मंडल ने 16 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री. राजकिरण राय जी. (डीआईएन:07427647) के वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की सिफारिश पर संस्था के प्रबंध निदेशक के पद पर विचार किया। निदेशक मंडल ने उपयुक्तता का पता लगाया और नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(ख) की लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप श्री. राजकिरण राय जी. की प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति से पहले एक आवश्यक कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आवश्यक छानबिन के लिए विवरण / प्रकटीकरण को अग्रेषित करने और केन्द्र सरकार 5द्वारा मनोनीत वैधानिक एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किया। इसके बाद, निदेशक मंडल ने 30 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, आरबीआई से प्राप्त उचित छानबिन रिपोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक एजेंसियों से मंजूरी के आधार पर श्री. राजकिरण राय जी. की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी 18 मई 2027 तक संस्था के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। श्री. राजकिरण राय जी. ने 8 अगस्त, 2022 को प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

4. निदेशक मंडल ने 13 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री बी. एस. वेंकटेश (डीआईएन:08489577) संस्थान के उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी (डीएमडी-सीआरओ) और श्रीमती मोनिका कालिया (डीआईएन:08579733) को संस्थान के उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी (डीएमडी-सीएफओ) के पद पर नियुक्त करने की एफएसआईबी की सिफारिश पर विचार किया । निदेशक मंडल ने उपयुक्तता का पता लगाया और नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(ग) के तहत लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप उक्त नियुक्तियों से पहले आरबीआई द्वारा आवश्यक उचित छानबिन के लिए उम्मीदवार के विवरण/प्रकटीकरण को अग्रेषित करने और केंद्रीय सतर्कता आयोग

(वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से) से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया कदम के रूप में मंजूरी दे दी।

आरबीआई से प्राप्त उचित छानबिन रिपोर्ट और केंद्रीय सतर्कता आयोग (वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से) से मंजूरी के आधार पर निदेशक मंडल ने 16 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में श्री. बी. एस. वेंकटेश डीएमडी-सीआरओ और श्रीमती मोनिका कालिया डीएमडी-सीएफओ के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए की नियुक्ति को मंजूरी दी। श्री. बी. एस. वेंकटेश, डीएमडी-सीआरओ ने 19 सितंबर, 2022 से उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया और श्रीमती मोनिका कालिया, डीएमडी-सीएफओ ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है।

8 सितंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उप प्रबंध निदेशक-उधार और परियोजना वित्त (डीएमडी-एल एंड पीएफ) के पद के लिए पात्रता मानदंड में उपयुक्त छूट के लिए एफएसआईबी के अनुरोध पर विचार किया। संशोधित विज्ञापन एफएसआईबी वेबसाइट पर होस्ट किया गया था और पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भारतीय समयानुरूप 20 अक्टूबर, 2022 शाम 5 बजे तक थी। डीएमडी-एल एंड पीएफ के पद के लिए एफएसआईबी की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

लेखापरीक्षक:

मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार (पंजीकरण संख्या 110266W) को वित्त वर्ष 2022 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में 22 मार्च, 2022 को आयोजित शेयरधारको की बैठक में नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

इसके अलावा, मैसर्स. जे सिंह एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्त वर्ष 2023 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में 24 अगस्त, 2022 को आयोजित शेयरधारको की बैठक में, नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुरूप फिर से नियुक्त किया गया था।

गवर्नेन्स:

संस्थान कॉर्पोरेट गवर्नेन्स न की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रहा है। संस्थान द्वारा संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कार्यों को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा मंज़ूर किया गया है।

- **बोर्ड की बैठकों का विवरण**

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, बोर्ड की पांच बैठकें 6 दिसंबर, 2021, 8 जनवरी, 2022, 27 जनवरी, 2022, 4 मार्च, 2022 और 21 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं।

- **बोर्ड समितियों का विवरण**

लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित नैबफिड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित बोर्ड स्तर की समितियों का गठन किया।

1. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने 1 दिसंबर, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से, नैबफिड अधिनियम की धारा 46(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (कठिनाइयों को दूर करने) के आदेश को पारित किया था, जिसमें नैबफिड अधिनियम की धारा 15(1) के तहत, पहली नामांकन और पारिश्रमिक समिति में नैबफिड अधिनियम की धारा 6(1)(घ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष और निदेशक शामिल थे। निदेशक मंडल ने 9 अप्रैल, 2022 और 4 जून, 2022 को हुई अपनी बैठकों में क्रमशः 10 अप्रैल, 2022 और 5 जून, 2022 से लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित नैबफिड अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 के अनुरूप कार्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करती है ।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें 8 जनवरी, 2022, 27 जनवरी, 2022 और 4 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम
श्री. के. वी. कामथ *(सदस्य 1 दिसंबर, 2021 से 9 अप्रैल, 2022 तक और साथ ही, 1 दिसंबर, 2021 से 9 अप्रैल, 2022 तक की उक्त अवधि के दौरान बैठकों की अध्यक्षता की)*
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, *अध्यक्ष (अध्यक्ष 10 अप्रैल, 2022 से)*
श्री. बी. श्रीराम *(5 जून, 2022 से प्रभावी)*
श्री. टी. एन. मनोहरन *(10 अप्रैल, 2022 से प्रभावी)*
श्री. पंकज जैन *(1 दिसंबर, 2021 से प्रभावी)*
श्रीमती सुमिता डावरा *(1 दिसंबर, 2021 से और 9अप्रैल, 2022 तक)*

2. लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने 9 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में नैबफिड अधिनियम की धारा 15 के तहत लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप 10 अप्रैल, 2022 से लेखा परीक्षा समिति का गठन किया।

लेखा परीक्षा समिति राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 के अनुरूप कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है ।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम
श्री. टी. एन. मनोहरन *अध्यक्ष (अध्यक्ष 10 अप्रैल, 2022 से)*
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन *(10 अप्रैल, 2022 से प्रभावी)*
श्रीमती सुमिता डावरा *(10 अप्रैल, 2022 से प्रभावी)*

3. जोखिम प्रबंधन समिति

4 जून 2022 को आयोजित अपनी बैठक में नैबफिड अधिनियम की धारा 15 के तहत लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप 5 जून, 2022 से जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। जोखिम प्रबंधन समिति को निदेशक मंडल द्वारा 8 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठकों में 9 सितंबर, 2022 से प्रभावी रूप से पुनर्गठित किया गया था।

जोखिम प्रबंधन समिति राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 के अनुरूप कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है ।

जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम
श्री. बी. श्रीराम *अध्यक्ष (अध्यक्ष 5 जून, 2022 से)*
श्री. के. वी. कामथ *(5 जून, 2022 से प्रभावी)*
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन *(5 जून, 2022 से प्रभावी)*
श्री. टी. एन. मनोहरन *(5 जून, 2022 से प्रभावी)*
श्री. राजकिरण राय जी. *(9 सितंबर, 2022 से प्रभावी)*

4. कार्यकारी समिति

निदेशक मंडल ने 8 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 9 सितंबर, 2022 से कार्यकारी समिति का गठन किया, जो लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए नैबफिड अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप है। 30 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया था ।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 के विनियम 7(1) के अनुसार, ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर दे सकता है, कार्यकारी समिति बोर्ड की क्षमता के भीतर किसी भी मामले से निपट सकती है।

कार्यकारिणी समिति के गठन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम
श्री. राजकिरण राय जी. *अध्यक्ष (अध्यक्ष 9 सितंबर, 2022 से)*
श्री. बी. श्रीराम *(सदस्य 9 सितंबर, 2022 से)*
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन *(सदस्य 9 सितंबर, 2022 से)*
श्रीमती मोनिका कालिया *(निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित इंडक्शन और यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगा)*

- **अन्य समितियां**

उपरोक्त के अलावा, निदेशक मंडल ने समय-समय पर विभिन्न आंतरिक समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समिति, क्रेडिट और व्यय अनुमोदन समिति, आईटी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आंतरिक शिकायत समिति आदि का गठन किया है।

- **आचार संहिता**

संस्थान के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक "आचार और नैतिकता संहिता" है। सभी निदेशकों और अधिकारियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

- **स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा**

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 के अनुरूप स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

- **आंतरिक नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता**

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्था के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार पर्याप्त हैं।

- **संबंधित पार्टी लेनदेन**

संस्था के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेनदेन नीति है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं थे।

- **जोखिम प्रबंधन**

निदेशक मंडल के पास नैबफिड द्वारा ग्रहण किए गए सभी जोखिमों की निगरानी है। विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा के लिए निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। संस्थान के पास जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं जो इसके संचालन के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क विभिन्न जोखिमों के लिए संस्थान की जोखिम क्षमता को निर्धारित करता है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क बनाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां भी स्थापित की गई हैं जिनके भीतर व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं। विभिन्न जोखिमों के स्वतंत्र मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए व्यावसायिक टीमों से स्वतंत्र विभिन्न समूहों और उप-समूहों की स्थापना की जा रही है।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक सूचना**

संस्थान में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, संस्था ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन**

संस्थान सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को सक्रिय, उत्तरदायी और पारदर्शी रूप से प्रकट कर रहा है।

- **राजभाषा नीति का कार्यान्वयन**

संस्थान की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राजभाषा नीति है। सरकारी लेन-देन में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए गए।

- **सतर्कता बढ़ाना**

संस्थान ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को अनुकूलित करने का प्रयास करता है और सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता ढांचा तैयार किया है। सरकार ने अपने 2 सितंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से नैबफिड को सूचित किया है कि श्री. शिव. नारायण. कौशिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), नाबार्ड, को नैबफिड में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री. शिव नारायण कौशिक ने 5 सितंबर, 2022 से प्रभावी अंशकालिक सीवीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- **कर्मचारियों का विवरण**

विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सेकेंडमेंट और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के माध्यम से मानव संसाधन के संदर्भ में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई है । संस्था इसका आभारी है और वर्ष के दौरान संस्थान के निर्माण में अधिकारियों के निरंतर प्रयासों, समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करती है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान संस्थान में कोई कर्मचारी नहीं था।

- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन**

वर्ष के दौरान, संस्थान के लिए आईटी वास्तुकला पर काम किया गया है और खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि संस्थान एक तेज़ और उत्तरदायी तरीके से बदलती तकनीकी गतिशीलता का जवाब दे सके।

- **व्यवसाय संचालन**

संस्थान ने नीतिगत ढांचे, प्रक्रिया और प्रणालियों और मानव संसाधन ढांचे से संबंधित गतिविधियों पर निर्माण करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।संस्थान ने क्षेत्र में बाजार की आवश्यकताओं और अवसरों को समझने के लिए विभिन्न मार्केट प्लेयर (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र) के साथ सहभागिता भी शुरू किया है। आगे बढ़ते हुए, संस्थान अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के ढांचे के तत्काल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भविष्य के लिए तैयार व्यापार पहल

संस्थान, विश्व बैंक (डब्लू बी),अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन डी बी), एशियाई विकास बैंक (ए डी बी), एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (ए आई आई बी) सहित वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधन जुटाने के माध्यमों को समझने के लिए चर्चा कर रहा है। संस्थान ने अवसरों को समझने, एक पाइपलाइन विकसित करने और नैबफिड अधिनियम के तहत परिकल्पित भूमिका को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी विभागों, उद्योग निकायों और प्रमुख संस्थाओं के साथ बातचीत शुरू की है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एन आई पी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन एम पी) में विस्तृत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाया गया है। वर्ष के दौरान परिचालन के प्रारंभिक वर्षों के लिए व्यापार निष्पादन अनुमानों का मसौदा तैयार किया गया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के समर्थन से संस्थान के संचालन में अच्छी प्रगति हुई है । आगे चलकर संस्थान विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर क्षेत्र प्राथमिकता, नवीन उधार उत्पादों, संसाधन जुटाने और इसकी विकासात्मक भूमिका के संबंध में अपनी रणनीति को और विकसित और क्रिस्टलाइज करेगा ।

स्वीकृति

संस्था भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहती है। संस्था से जुड़े विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती है ।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

श्री. के.वी. कामथ
अध्यक्ष
(डीआईएन:00043501)

दिनांक: 20 अक्टूबर, 2022
स्थान: मुंबई

अनुलग्नक

- **स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**
- **31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण**
- **प्रसारण के पत्र**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति
वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ((NaBFID) ('संस्था') के वित्तीय विवरणों की लेखा -परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एव्न वितते विवरणियों पर की गई टिप्पणियाँ शामिल है, इसमें महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गई है।

हमारी राय में 31 मार्च, 2022 को संस्थान के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए इसका लाभ और इसका नकदी प्रवाह और हमारी जानकारी के सर्वोत्तम रूप में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास सामान्य विनियम, 2022 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मंतव्य का आधार

हमने वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों मानकों ('एसए') के अनुसार संपन्न की है । इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को एक पूरे के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और इस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, हमारे ऑडिट ने इस मामले को कैसे संबोधित किया, इसका हमारा विवरण उस संदर्भ में प्रदान किया गया है।

क्रमांक	लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**निवेश का मूल्यांकन** निवेश में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में संस्थान द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की मान्यता न दिए जाने और गैर-निष्पादित निवेशों के विरुद्ध प्रावधान को शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। हमने निवेश के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि लागू विनियामक दिशानिर्देशों और संस्थान की नीतियों के आधार पर कुछ निवेशों के मूल्य का निर्धारण करने में शामिल प्रबंधन निर्णय, प्रबंधन निर्णय के आधार पर एचटीएम पुस्तक के लिए हानि मूल्यांकन, विनियामक फोकस की डिग्री और संस्थान के वित्तीय परिणामों के समग्र महत्व के आधार पर प्रबंधन निर्णय शामिल है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से - • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय के उलट और निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के बारे में आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया ; • हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और मूल्यांकन किया; • निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया;
2.	**वित्तीय रिपोर्टिंग पर मैन्युअल नियंत्रण:** संस्था संचालन की स्थापना के प्रारंभिक चरण में है और खातों की बहियों को एमएस एक्सेल में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। वित्तीय लेन-देन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पर आईटी नियंत्रण की अभाव के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में चिन्हित है।	हमने संस्था द्वारा की गई आय और व्यय को सत्यापित करने के लिए ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की हैं। जहां कहीं भी लागू हो, लेन-देन की तर्कसंगतता को सत्यापित करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गयीं ।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

संस्थान का प्रबंधन अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नही है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या नही । अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम इस मामले को अभिशासन के प्रभारी तक पहुंचाए।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का दायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य विनियम, 2022 के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी -प्रवाह के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं । इस उत्तरदायित्व में संस्था की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के गलत बयान से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबन्धित मामलों के प्रकटन तथा जब तक कि प्रबंधन संस्था के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता , तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी है ।

संस्थान का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रुप से वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटि वश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना और एक ऐसी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु ऐसी गारंटी नहीं है कि सांविधिक लेखा परीक्षा में सदा ही किसी मिथ्याकथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा । मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं

और उन्हें एकल अथवा सममिलित रुप में तथ्यात्मक माना जाता है जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक मिथ्याकथनों से पर्याप्त रुप से प्रभावित होने की संभावना हो ।
सांविधिक लेखा -परीक्षा मानक के अनुसार लेखा -परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा -परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते है।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन के प्रभारियों के साथ उठाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा- परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उन मुद्दों को तब तक नहीं उठाते हैं जब तक कि

कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रुप से अपेक्षा की जाएगी , इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है ।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

तुलन-पत्र,लाभ-हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषन और विकास बैंक सामान्य विनियम 2022 के विनियम 9 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
हम सूचित करते हैं कि :

(a) हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(b) संस्था के लेन-देन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, संस्था की शक्तियों के भीतर रहे हैं;

(c) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित बहियों को संस्था द्वारा तब तक रखा गया है जहां तक यह उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है;

(d) इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकद प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं;

(e) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(f) प्रबंधन ने अपने पूरे ज्ञान और विश्वास से सूचित किया है कि,जैसा कि खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार लिए गए धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं (ies) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप से या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह से गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

(g) प्रबंधन ने अपने पूरे ज्ञान और विश्वास से सूचित किया है कि जैसा कि खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं (ies) से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी, जो भी किसी भी तरह से या वित्त पोषण की ओर से किसी भी तरह से पहचानी गई है। पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करते हैं।

(h) लेखा- परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि नियम 11 (ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (जी) और (एच) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी सामग्री गलत बयानी शामिल है।

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
FRN- 110266W

जे सिंह
साझेदार
M.No. 042023
UDIN: 22042023ANAAXF4598

स्थान: मुंबई
दिनांक : जुलाई 16, 2022

31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु करोड़ में)

	अनुसूचियां	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आस्तियां			
वित्तीय आस्तियां			
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	-	-
2. बैंकों के पास अतिशेष	II	14,991.54	-
3. व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	-	-
4. ऋण	IV	-	-
5. विनिधान	V	10,005.27	-
6. अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	125.43	-
गैर वित्तीय आस्तियां			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	0.04	-
2. सद्भावना		-	-
3. अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	-	-
4. वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6. अन्य गैर -वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	-	-
कुल आस्तियां		**25,122.29**	-
साधारण शेयर और देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
1. जमा राशियां	X	-	-
2. उधार	XI	-	-
3. ऋण प्रतिभूतियां	XII	-	-
4. व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों		-	-
5. अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	2.07	-
गैर वित्तीय देनदारियां			
1. वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. आस्थगित कर देनदारियां		-	-
3. अन्य गैर वित्तीय देनदारियां (उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	0.00	-
कुल देनदारियां		2.07	-

शेयरधारकों की निधि		-	-
(क) शेयर पूँजी	XV	20,000.00	-
(ख) भंडार और अधिअतिशेष	XVI	5,120.22	-
कुल		**25,120.22**	-
कुल साधारण शेयर और देनदारियां		**25,122.29**	-
आकस्मिक देनदारियां	XVII	-	-

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग बनाती हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

के.वी. कामथ
(अध्यक्ष)
DIN: 00043501

स्थान - मुंबई
दिनांक: 16 जुलाई, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त)

किशोर कुमार पोलुदासु
(विशेष कार्य अधिकारी)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

	अनुसूचियां	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आय			
ब्याज और बट्टा	XVII	122.74	-
शुल्क और कमीशन आय		-	-
विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	XIX	-	-
अन्य आय	XX	-	-
कुल आय		**122.74**	-
व्यय			
वित्तीय लागत	XXI	-	-
शुल्क और कमीशन आय		-	-
वित्तीय आस्तियों पर उपबंध	XXII	-	-
कर्मचारी लाभ	XXIII	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास और हानि		0.01	-
अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		-	-
अन्य व्यय	XXIV	3.04	-
कुल व्यय		**3.05**	-
करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		**119.70**	-
असाधारण मद		-	-
करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		**119.70**	-
कर व्यय		-	-
(i) वर्तमान कर		-	-
(ii) आस्थगित कर			-
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		**119.70**	**-**
विनियोजन			
(क) सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
(ग) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण		23.94	-
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)		-	-

(ङ) लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया		-	-
प्रति शेयर आय			
(क) आधार		0.06	-
(ख) मंदित		0.06	-

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ और हानि का विवरण का एक अभिन्न अंग बनाती हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

के.वी. कामथ
(अध्यक्ष)
DIN: 00043501

स्थान - मुंबई
दिनांक: 16 जुलाई, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त)

किशोर कुमार पोलुदासु
(विशेष कार्य अधिकारी)

अनुसूचियां

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची-I भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष	-	-
कुल (1+2)	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची II: बैंकों के पास अतिशेष		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. भारत में		
(क) चालू खातों में	0.04	-
(ख) अन्य जमा खातों में	14,991.50	-
2. भारत के बाहर		
(क) चालू खातों में	-	-
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
कुल (1+2)	**14,991.54**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची III: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों						
	(वर्तमान वर्ष)			**(पूर्व वर्ष)**		
भाग I	**आनुमानिक रकम**	**उचित मूल्य-देनदारियां**	**उचित मूल्य-आस्तियां**	**आनुमानिक रकम**	**उचित मूल्य-आस्तियां**	**उचित मूल्य-देनदारियां**
(i)मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
हाजिर और वायदा	-	-	-	-	-	-
मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
मुद्रा अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(iv)साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-

(v)अन्य व्युत्पन्न(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	-	-	-	-	-	-
भाग II	-	-	-	-	-	-
बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:	-	-	-	-	-	-
(i)उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii)नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)निवल विनिधान बचाव व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
(iv)अनामित व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)	-	-	-	-	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची IV-ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.(क)खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
(ख)मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
(ग)मीयादी ऋण	-	-
(घ)अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-

2.(क) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(ख)अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(ग)बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
(घ)प्रतिभूति रहित	-	-
उप-योग(2)	-	-
3.(क) भारत में ऋण	-	-
(ख)भारत के बाहर ऋण	-	-
उप-योग(3)	-	-
उप-योग(1),(2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची V: विनिधान [मूल्यह्रास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में विनिधान		
(क)केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	10,005.27	-
(ख)बैंको और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
(ग)बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(घ)म्यूच्वुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-
(ङ)अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड,डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(च)सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान	-	-
(छ)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	**10,005.27**	-
2. भारत के बाहर विनिधान	-	-
(क)सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ख)सहायक,सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	**10,005.27**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची VI-अन्य वित्तीय आस्तियां		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.प्राप्य राशि	-	-
2.बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	125.43	-
कुल	**125.43**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची VII-संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर (मूल्यह्रास का योग)		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.संपत्ति		
(क)पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
2.संयंत्र और उपस्कर	-	-
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
3.अन्य निर्धारित आस्तियां		-
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.05	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	0.01	-
कुल (1+2+3)	**0.04**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची VIII-अन्य अमूर्त आस्तियां		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.अन्य अमूर्त आस्तियां (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
कुल	**-**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची IX-अन्य गैर वित्तीय आस्तियां		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2. पूर्वसंदत्त व्यय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	**-**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची X-जमा		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.बैंकों से	-	-
2.अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल(1+2+3)	**-**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XI-उधार		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में उधार		
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
(ख) भारत सरकार से	-	-
(ग) बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
(घ) मियादी मुद्रा उधार	-	-
(ङ) न्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-
2.भारत के बाहर उधार		
(क)बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
(ख)अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XII-ऋण प्रतिभूतियां*		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां		
(क) बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
(ख) वाणिज्यिक पेपर	-	-
(ग) जमा राशि का प्रमाणपत्र	-	-
(घ) अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-
2.भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां	-	
(क) बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
(ख) अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	-	-

*भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ऋण प्रतिभूतियों को इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XIII-अन्य वित्तीय देनदारियां		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. प्रोदभूत ब्याज	-	-
2. असंदत्त लाभांश	-	-
3. असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	2.07	-
कुल	**2.07**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XIV-अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अग्रिम में प्राप्त राजस्व	-	-
2. उपबंध	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	**-**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XV- शेयर पूँजी		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.प्राधिकृत पूँजी		
(क) साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,000,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	-
2.जारी,अभिदत्त और चुकता पूंजी		
(क) साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,000,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	-
कुल शेयर पूंजी	**20,000.00**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XVI-आरक्षित और अधिअतिशेष		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.आरक्षित निधि (राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	23.94	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	23.94	-

2.आरक्षित पूंजी		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,000.52	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	5,000.52	-
3.आरक्षित विनिधान		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
5.पुनर्मूल्यन आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
6.सामान्य आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
7. लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	95.76	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	95.76	-
8.अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
कुल आरक्षित और अधिशेष	**5,120.22**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XVII-आकस्मिक देयताएं		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	-	-
3. अग्रिम संविदाओं के लेखे	-	-
4. हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XVIII-ब्याज और बट्टा		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. ऋण और अग्रिम पर ब्याज और छूट आय	-	-
2. विनिधान पर ब्याज और छूट आय	122.74	-
3. बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	-	-
4. अन्य ब्याज आय (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	**122.74**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XIX- विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: विनिधान की बिक्री पर हानि	-	-
कुल	**-**	**-**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XX-अन्य आय		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
2. विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-

4. विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)	-	-
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XXI-वित्त लागत		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. उधार पर ब्याज	-	-
3. ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	-
4. अन्य ब्याज खर्च (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XXII- वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. मानक ऋण के लिए उपबंध	-	-
3. लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध	-	-
4. अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उल्टाव	-	-
कुल	**-**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XXIII: कर्मचारी लाभ		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. बोनस सहित वेतन और मजदूरी	-	-
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
3. कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	**-**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची XXIV: अन्य खर्चे		
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. किराया, दरें और कर	0.02	-
2. बिजली और अन्य सुविधाएं	-	-
3. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	-	-
4. संचार लागत	-	-
5. विज्ञापन और प्रचार	0.03	-
6. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	0.01	-
7. लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.14	-
8. कानूनी और पेशेवर शुल्क	1.83	-
9. मरम्मत और रखरखाव	-	-
10. बीमा	-	-
11. अन्य व्यय*	1.02	-
कुल	**3.04**	**-**

* 'अन्य व्यय' उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, को अलग से दर्शाया जाना है।

अनुसूची XXV: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
अनुसूची XXVI: लेखा टिप्पणी

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां और अन्य प्रकटीकरण

I. अनुसूची XXV : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. तैयार करने के आधार:

वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, 2021 (NaBFID एक्ट , 2021) और लेखा मानकों के साथ सभी भौतिक मामलों में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। अनुसूची या ऐसे संशोधन के साथ जो कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो। जहां लेखा मानकों (एएस) सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों की आवश्यकताओं का अनुपालन (वर्तमान, गैर-वर्तमान के अनुसार संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करने के विकल्प को छोड़कर) जैसा कि प्रासंगिक एएस द्वारा प्रदान किया गया वर्गीकरण) जैसा कि संस्थान पर लागू हो, उपचार या प्रकटीकरण में किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसमें शीर्ष या उप-शीर्ष में जोड़, संशोधन, प्रतिस्थापन या विलोपन या किसी भी परिवर्तन, वित्तीय विवरणों या उसके हिस्से के रूप में बयान शामिल हैं। , वही बनाया जाएगा और इस अनुसूची के तहत आवश्यकताओं को तदनुसार संशोधित किया जाएगा । जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं।

ये वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 के संशोधित रूप में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण भारत में लागू सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखा मानकों (एएस) के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण आईएनआर में करोड़ों में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम रुपये में गोल किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2. आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियोँ और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है किये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से पहचाना जाता है।

3. राजस्व निर्धारण:

यह संभावना है कि आर्थिक लाभ संस्थान को प्रवाहित होगा और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है, जब संविदात्मक प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो, राजस्व को तब मान्यता दी जाती है ।

3.1. **आय:**

3.1.1. लाभ औरहानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा संस्थान की आंतरिक नीतिके अनुसारदर्शायी गई है।

3.1.2. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

3.1.3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है ।

3.1.4. दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज आय का लेखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

3.2. **व्यय :**

3.2.1 सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं।

3.2.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

4. निवेश :

4.1. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में संवर्गीकरण कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
ग) शेयर,
घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड
ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और
च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क)परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो । ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख)व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार/ उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है ।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्यमें पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

4.2. कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है ।

4.3. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

4.4. उद्‌धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्‌द्दत नहीं है/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

4.5. निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

4.6. निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

4.7. जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

4.8. निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

4.9. अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

4.10. ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि- ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

4.11. म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है। गैर-उद्‌धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है, यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध है, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 पर।

4.12. उद्‌धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) -11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" (संशोधित 2003) के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्राओं में खाते की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों और गारंटियों के संबंध में की जाती है; स्वीकृति, अनुमोदन और अन्य दायित्वों की गणना फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('FEDAI') द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर की जाती है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को FEDAI द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा एलओसी पर पुनर्मूल्यांकन अंतर समायोजित और विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए खोले गए और बनाए गए एक विशेष खाते में दर्ज किया गया है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों को बाजार में चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। व्युत्पन्न अनुबंधों के तहत कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है और समान काउंटर-पार्टियों के साथ अन्य डेरिवेटिव अनुबंधों पर मार्क-टू-मार्केट लाभ लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम:

6.1. ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

6.2. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक अग्रिमों व पुनर्संरचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है ।

6.3. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

6.4. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान:

7.1. कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं । वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

7.2. आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

7.3. आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर- योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

7.4. जो प्रावधान न किए गए विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, उन्हे आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. प्रतिभूतीकरण:

8.1. संस्था बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से क्रेडिट रेटेड एसेट पूल्स को स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा जारी पास-थ्रू सर्टिफिकेट के माध्यम से खरीद सकती है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेशके रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

8.2. संस्थान द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को संस्थान द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8.3. संस्थान सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में संस्थान इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को संस्थान की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

8.4. बेचे गए ऋणों और अग्रिमों पर अवशिष्ट ब्याज को अंतर्निहित ऋणों और अग्रिमों के जीवनकाल में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण से होने वाले लाभ/प्रीमियम को दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। संस्थान बिक्री के

समय तुरंत प्रतिभूतिकरण से होने वाली किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार है। सहारा दायित्व के साथ सीधे समनुदेशन के माध्यम से ऋण आस्तियों की बिक्री से होने वाली शुद्ध आय को बेची गई अंतर्निहित आस्तियों के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है और बिना किसी सहारा दायित्व के, प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से ऋण आस्तियों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय को बिक्री के समय मान्यता दी जाती है। ऋण परिसंपत्तियों के सीधे समनुदेशन के कारण होने वाली शुद्ध हानि को बिक्री के समय मान्यता दी जाती है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

9.1. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति(एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों का मूल्यांकन समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9.2. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो । बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

10.1.एक नई पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है और सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। संस्था पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और संस्था की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

10.2. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है।

10.3.स्वेच्छीक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

10.4.सेवा-कालिक (अल्पविधि) लाभ:
अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

11.1.स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

11.2.आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ । संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

11.3.पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) 20% पर फर्नीचर मूल्यह्रास (5 वर्ष उपयोगी जीवन)

(ii) कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 33.33% (3 वर्ष उपयोगी जीवन)

(iii) भवन-[मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएं: संस्थान के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दरसे
(v) मोटरकार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से
(vi) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता ।

11.4. पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यंत किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक अस्तियाँ

एएस-29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को संस्थान चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का नतोनिर्धारण होता है, नही प्रकटन । आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

आरबीआई के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के संबंध में प्रावधान मानदंड: क) बैंकों को आम तौर पर संस्थान को देय पूरी राशि प्रदान करनी चाहिए या जिसके लिए संस्थान उत्तरदायी है (जमा खातों के मामले में), धोखाधड़ी का पता चलने पर तुरंत . प्रावधान की आवश्यकता की गणना करते समय, संस्थान धोखाधड़ी खाते के रूप में घोषित खातों के संबंध में बासल III पूंजी विनियम - क्रेडिट जोखिम (मानकीकृत दृष्टिकोण) के लिए पूंजी शुल्क, यदि कोई हो, के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकते हैं; बी) हालांकि, तिमाही लाभ और हानि पर इस तरह के प्रावधान के प्रभाव को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के पास उस तिमाही से, जिसमें धोखाधड़ी का पता चला है, चार तिमाहियों से अधिक की अवधि में प्रावधान करने का विकल्प है; सी) जहां संस्थान दो से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के लिए प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूर्ण प्रावधान किया जा रहा है, बैंकों को 'अन्य भंडार' को डेबिट करना चाहिए [यानी, शर्तों के अनुसार बनाए गए रिजर्व के अलावा अन्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) के प्रावधानों को क्रेडिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान नहीं की गई राशि द्वारा। हालांकि, बैंकों को आनुपातिक रूप से डेबिट को 'अन्य रिजर्व' में उलट देना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान पूरा करना चाहिए; घ) संस्थान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या, ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा और वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की मात्रा के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे। (संदर्भ: आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 1 अक्टूबर, 2021).

14. अनुदान एवं सब्सिडी

लेखा मानक 12- अनुदान एवं सब्सिडी के अनुसार, सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का अनुदान करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

15. परिचालनगत पट्टा

लेखा मानक 19- परिचालनगत पट्टा के अनुसार, पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टे के अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि लेखे में व्यय/आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

16.आस्तियों की क्षति

लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

क) क्षति - हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति(यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

क्षति - हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी आस्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य से अधिक हो जाती है

17.कदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि व म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

18. प्रारंभिक व्यय

संस्था की स्थापना के वर्ष में प्रारंभिक व्यय और पूर्व-संचालन व्यय पूरी तरह से बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

II. अनुसूची XXIV : खातों पर टिप्पणियाँ

1. संस्थागत प्रोफाइल:

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्था") की स्थापना 28 मार्च, 2021 को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में पारीत किया गया है ।

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य भारत या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना होगा, ताकि विकास को समर्थन देने के लिए संबंधित संस्थानों के निर्माण और सुधार की सुविधा मिल सके। घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजारों सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण।

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा, और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से भारत में या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना होगा। भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

वित्तीय वर्ष 2021 के लिए संस्था के वार्षिक लेखे अधिनियम की धारा 25 के अनुसार संस्था के तुलन पत्र और लेखा तैयार करने से संबंधित तैयार किए गए हैं।

बोर्ड ने 19 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि को संस्थान की पुस्तकों और खातों को बंद करने और संतुलित करने वाला पहला वित्तीय वर्ष बताया। ये वित्तीय विवरण लगभग 11 महीने के लिए तैयार किए गए हैं। यह संस्था का पहला वित्तीय वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी और 16 जुलाई, 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया।

2. इंड -ए एस का कार्यान्वयन:

जैसा कि सभी एआईएफआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, एआईएफआई द्वारा इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (नैबफिड NaBFID) के वित्तीय विवरण एएस जीएएपी के तहत तैयार किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एएस के लिए निर्देश के अनुसार , इंड एएस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रपत्रों को नैबफिड द्वारा अपनाया जाएगा।

3. आयकर के लिए प्रावधान:

वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2022 को अपने पत्र के माध्यम से नैबफिड (NaBFID) को उसके द्वारा उपार्जित या अर्जित आय के संबंध में, आकलन वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाली अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए आयकर की प्रयोज्यता के लिए छूट प्रदान की है।

4. **अनुसूची II के तहत बैंकों के साथ अथशेष राशि:**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष))**
1. **भारत में**		
क . चालू खाते में	0.04	-
ख . अन्य जमा खाते में	-	-
सावधि जमा	9,965.00	-
सावधि जमा (सुरभि)	26.50	-
सावधि जमा – अनुदान राशि	5000.00	-
2. **भारत से बाहर**		-
क . चालू खाते में	-	-
ख . अन्य जमा खाते में	-	-
योग (1+2)	**14,991.54**	-

5. **अनुसूची V के तहत निवेश:**

अनुसूची V के अंतर्गत निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष))**
1. **भारत में निवेश**		
क . केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	10,005.27	-
2. **भारत के बाहर निवेश**	-	-
योग (1+2)	**10,005.27**	-

6. **अनुसूची VI के तहत अन्य वित्तीय आस्तियां:**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)**
1. प्राप्तियाँ	-	-
2. बीमा दावों के संबंध में प्राप्तियाँ	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)		-
जी-सेक ट्रेजरी पर उपचित ब्याज	47.10	-
सावधि जमा पर उपचित ब्याज	42.78	-
अग्रिम आयकर	35.53	-
रिवर्स चार्ज खाते के तहत सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लंबित उपलब्धता	-	-
एसजीएसटी /यूटीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स चार्ज खाते के तहत लंबित उपलब्धता	-	-
सुरक्षा जमा खाते में अंशदान	0.02	-
योग	125.43	-

7. **अनुसूची VII के तहत आस्ति , संयंत्र और उपकरण [मूल्यह्रास के बाद]**

अनुसूची VII के तहत आस्ति , संयंत्र और उपकरण [मूल्यह्रास के बाद] में डेड स्टॉक के रूप में चिन्हित किए गए लैपटॉप की खरीद शामिल है जिसे 33.33% की दर से अवमूल्यन किया गया है और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूडीवी रु 3,98,683 /- रुपये है।

8. **अनुसूची XIII के तहत अन्य वित्तीय देनदारियां**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)
SIDBI को देय राशि	0.77	-
रिवर्स चार्ज खाते के तहत देय CGST	-	-
रिवर्स चार्ज खाते के तहत देय SGST/ UTGST	-	-
पेशेवर / तकनीकी शुल्क के भुगतान पर स्रोत पर काटा गया कर	-	-
भुगतान योग्य स्रोत पर काटा गया कर	0.13	-
प्रावधान (देय व्यय के लिए)	1.17	-
योग	**2.07**	**-**

9. **अनुसूची XVI के तहत आरक्षित और अधिशेष**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)
पूंजी आरक्षित - वर्ष के दौरान वृद्धि		
अनुदान प्राप्त	5,000	-
उस पर ब्याज	0.52	-
योग	**5,000.52**	**-**

10. **अनुसूची XVII में निर्दिष्ट आकस्मिक देयताएं**

31 मार्च, 2022 को नैबफिड की बही में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।

11. **अनुसूची XVIII के तहत ब्याज और छूट:**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)
निवेश पर ब्याज और छूट आय		-
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	75.64	-
सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	47.10	-
योग	122.74	-

12. **अनुसूची XXI के तहत ब्याज और वित्तीय शुल्क:**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)**
ट्रेजरी से संबंधित अतिरिक्त व्यय खाता	- *	-
बैंक प्रभार	- *	-
योग	-	-

* इस संस्था ने ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के तहत रु 31,329/- रुपये का वित्त प्रभार और बैंक प्रभार के रूप में रु 91/ का व्यय किया है।

13. **अनुसूची XXIV के तहत अन्य व्यय:**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)**
किराया, दरें और कर	0.02	-
विज्ञापन और प्रचार	0.03	-
निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	0.01	-
लेखा परीक्षक की फीस और खर्च	0.14	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	1.83	-
अन्य व्यय	1.02	-
योग	**3.04**	-

14. **प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस -20):**

संस्था एएस 20 के अनुसार मूल और विलेय प्रति शेयर अर्जित आय की रिपोर्ट करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। 31 मार्च, 2022 तक, संस्थान के पास 0.06 प्रति शेयर आय है।

15. **प्रस्तावित लाभांश शून्य है क्योंकि परिचालन आय अभी तक अर्जित की जानी है।**

16. **लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक**

लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 31.03.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2021 (पिछला वर्ष)**
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.10	-
टैक्स ऑडिट फीस	0.04	-

17. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि के संदर्भ में संस्था की अचल परिसंपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं है।

18. लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत प्रकटीकरण के संदर्भ में आकस्मिकताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

19. **निवेशकों की शिकायतें:**

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नैबफिड ने अभी तक अपना संचालन शुरू नहीं किया है, वित्तीय वर्ष 2022 की अंतिम तिथि तक निवेशक की शिकायतें शून्य हैं।

20. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 20,000 करोड़ रुपये की जारी की गई शेयर पूंजी कुल 1,00,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी में से आवंटित की गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। 20,000 करोड़ रुपये की पूरी प्रारंभिक पूंजी और 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान कोष को ट्रेजरी बिल और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक में बनाए गए अपने परिचालन बैंक के साथ है।

21. अपने शुरुआती चरण में होने के नाते, संस्थान के पास वित्तीय वर्ष के अंत में रु 25,122 करोड़ रुपये का आस्ति आधार है। इसके अलावा, नैबफिड ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान रु 119.70 करोड़ रुपये का अपना शुद्ध लाभ दर्ज किया है जो कि मुख्य रूप से एफडी और जी-सेक निवेश पर अर्जित ब्याज द्वारा हुआ है ।

22. नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार, संस्थान एक आरक्षित निधि स्थापित करेगा, जिसे ऐसी राशियों को स्थानांतरित किया जा सकता है जो बोर्ड संस्थान को प्राप्त होने वाले वार्षिक लाभ में से उचित समझे। तदनुसार, संस्था ने संस्थान को प्राप्त होने वाले वाषक लाभ के बीस प्रतिशत (20%) के अंतरण के साथ एक आरक्षित निधि की स्थापना की है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक विशिष्ट आरक्षित निधि के रूप में 23.94 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

23. (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कोई भी फंड उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

(ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों की टिप्पणियों में बताया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

iii) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि उपरोक्त के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है।

24. संबंधित पार्टियों की सूची (एएस 18)

नाम	पदनाम
श्री किशोर कुमार पोलुदासु	विशेष कार्य अधिकारी
श्री मृणाल गोस्वामी	प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त
सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे	कंपनी सचिव

नोट: नैबफिड का कार्य कार्यबल टीम द्वारा सेकेंडमेंट आधार पर किया जा रहा है।

III. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

1. पूंजी पर्याप्तता

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
i)	सामान्य ईक्विटी*	20,000.00	Not Applicable
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	Not Applicable	Not Applicable
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी	20,000.00	0.00
(iv)	टियर 2 पूंजी	0.00	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	20,000.00	0.00
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	0.00	0.00
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)*	Not Applicable	0.00
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	0.00%	0.00
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	0.00%	0.00
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	0.00	0.00
xi)	उगाही गई ईक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
xii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	0.00	0.00
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	0.00	0.00
	ख) सतत ऋण पत्र (पीडीआई)	0.00	0.00
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	0.00	0.00
	क) ऋण पूंजी लिखत	0.00	0.00
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
मानक आस्तियों(संचयी) पर प्रावधान	0.00	0.00

(ख) चल प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
चल प्रावधान खाते में अथशेष	0.00	0.00
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	0.00	0.00
चल प्रावधान खाते में इतिशेष	0.00	0.00

* राशि का उपयोग, चल प्रावधान पर बैंक की बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां/ अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए किया गया

3. **आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान**

(क) अनर्जक अग्रिम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i)निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति *		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इति शेष	0.00	0.00

*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी

(ख) अनर्जक निवेश

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) निवल निवेश का निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक आस्तियों (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	0.00
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) बट्टे खाते में डाले गए /पुनरांकित बेशी प्रावधान	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	0.00

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.00%	0.00%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	0.00
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
(ग) बट्टे खाते में डाले गए /पुनरांकित बेशी प्रावधान	0.00	0.00
(घ) इतिशेष	**0.00**	**0.00**

(घ) **अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	0.00	0.00
वर्ष के दौरान (नए अनर्जक आस्तियां) परिवर्धन	0.00	0.00
उप योग (क)	**0.00**	**0.00**
घटाएँ :-		
(i) उन्नयन	0.00	0.00
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	0.00	0.00
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टा खाता	0.00	0.00
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)	**0.00**	**0.00**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क- ख)	**0.00**	**0.00**

(ङ) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बट्टे खाते में अथशेष	0.00	0.00
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	0.00	0.00
उप योग (क)	**0.00**	**0.00**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते	0.00	0.00
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछलें तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूली	0.00	0.00
उप योग (ख)	**0.00**	**0.00**
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	**0.00**	**0.00**

(च) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
कुल आस्तियां	NIL	NIL
कुल अनर्जक आस्तियाँ	NIL	NIL
कुल राजस्व	NIL	NIL

(छ) **मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान**

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**10,005.27**	**-**
(क) भारत में	**10,005.27**	**-**
(ख) भारत से बाहर	**-**	**-**
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**-**	**-**
(क) भारत में	**-**	**-**
(ख) भारत से बाहर	**-**	**-**
(iii) निवल निवेश	**10,005.27**	**-**
(क) भारत में	**10,005.27**	**-**
(ख) भारत से बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति	-	-
(i) अथशेष	-	-
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन , यदि कोई हो तो	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित /बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में ,यदि कोई अंतरण*	-	-
(vi) इति शेष	-	-

(ज) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि रु करोड़ में)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
निवेश पर मूल्यह्रास /अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	0.00	0.00
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	0.00 @ #	0.00 @
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति /देयता शामिल)	0.00	0.00
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	0.00 $	0.00 $

पुनर्गठन प्रावधान का शुद्ध @
चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन
$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

(झ) प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)

(राशि रु करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)*	0.00%	0.00%

* पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है

(ञ) धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान

(राशि रु करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	0	0
धोखाधड़ी मॆं शामिल धनराशि (` करोड़)	0	0
वर्ष के अंत में वसूली /बट्टे खाते /अप्राप्त ब्याज में धोखाधड़ी में शामिल राशि (*राशि रु करोड़ में*)	0	0
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (*राशि रु करोड़ में*)	0	0
उक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (*राशि रु करोड़ में*)	0	0
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों" से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (` करोड़)	-	-

4. निवेश संविभाग : संघटन और परिचालन

(क) रेपों संव्यवहार

(राशि रु करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2022 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i सरकारी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
ii नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
iii प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
iv सरकारी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
v नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil

(राशि रु करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया का न्यूनतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2021 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i सरकारी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
ii नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
iii प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
iv सरकारी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil
v नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	Nil	Nil	Nil	Nil

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ताओं की संघटना विषयक खुलासे

(राशि रु करोड़ में)

जारीकर्ता	राशि	राशि 31 मार्च, 2022			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी नीचे के स्तर की धारित प्रतिभूतियाँ	बगैर रेटिंग धारित प्रतिभूति	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थायें	-	-	-	-	-
(iii) बैंक	-	-	-	-	-
(iv) निजी कार्पोरेट्स	-	-	-	-	-
(v) अनुषंगी /संयुक्त उपक्रम	-	-	-	-	-
(vi) अन्य	-	-	-	-	-
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

5. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के उद्देश्य से प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गईं आस्तियाँ

(i) बिक्री का ब्यौरा

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) खातों की संख्या	Nil	Nil
(ii) एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	Nil	Nil
(iii) सकल प्रतिफल	Nil	Nil
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	Nil	Nil
(v) (निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	Nil	Nil

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.00	0.00
(ii) बैंकों/ अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

(ख) खरीदी गयी /बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
(ख) सकल बकाया	Nil	Nil
2. क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	Nil	Nil
(ख) सकल बकाया	Nil	Nil

(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1. बेंचे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
2. सकल बकाया	Nil	Nil
3. सकल प्राप्त प्रतिफल	Nil	Nil

6. परिचालनगत परिणाम

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)		
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.00	0.00
(iii) (प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)		
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)		
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ *(राशि रु करोड़ में)*	0.00	0.00

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजारगत जोखिम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों , परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	-	-
(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों , परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii)शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(viii) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(ix) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	-	-
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**0.00**	**0.00**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22	
	शुद्ध वित्त पोषित एक्सपोजर	आयोजित प्रावधान
तुच्छ	-	-
कम	-	-
संतुलित	-	-

उच्च	-	-
बहुत ऊँचा	-	-
प्रतिबंधित	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-
कुल	-	-

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

(राशि रु करोड़ में)

क्र.सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उसका प्रतिशत

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं , उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं , उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

(iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत

(राशि रु करोड़ में)

उद्योग के स्वरूप का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	0.00	0.00	0.00	0.00
ऑटो अनुषंगी	0.00	0.00	0.00	0.00
प्लास्टिक मोल्ड उत्पाद	0.00	0.00	0.00	0.00
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	0.00	0.00	0.00	0.00
वस्त्र उत्पाद	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) कुल अग्रिम राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, अनुज्ञप्तियां , प्राधिकार आदि लिया गया है, वह शून्य है

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(ग) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं , ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	0.00	0.00
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	0.00%	0.00%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2021-21
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	0.00	0.00
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	0.00%	0.00%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	0.00	0.00
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	0.00%	0.00%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	-	-	-	-	-	-
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
III.	अन्य	-	-	-	-	-	-
	योग (I+II+III)	-	-	-	-	-	-

8. व्युत्पन्न

(क) वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	-	-
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	-	-
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	-	-
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	-	-
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	-	-

31 मार्च, 2021 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नवत हैं:

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूतम मानदंड	शर्तें
1	NIL		-	-	-

31 मार्च, 2020 को आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं:

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	स्वरूप	सं.	आनुमानिक मूल राशि	न्यूतम मानदंड	शर्तें
1	NIL		-	-	-

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	NIL	NIL
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	NIL	NIL
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	NIL	NIL
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	NIL	NIL

(ग) व्युत्पन्नों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i)	गुणात्मक प्रकटीकरण
	Nil

ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं .	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	-	-	-	-
(i)	बचाव के लिए	-	-	-	-
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	-	-	-	-
(i)	आस्ति (+)	-	-	-	-
(ii)	देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	-	-	-	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	-	-	-	-
(i)	बचाव व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
(ii)	व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 *पी वी 01	-	-	-	-
(i)	बचाव पर	-	-	-	-
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

(घ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर प्रकटीकरण - संस्थान ने वर्ष के दौरान कोई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप नहीं लिया है।

9. एआई एफ आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण , आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं तथा अग्रिमों के विवरण निम्नवत हैं :

(राशि रु करोड़ में)

यथा 31 मार्च, 2020 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2021 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति-देयता प्रबंध

(राशि रु करोड़ में)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवेश			3,954.77	6,050.51					10,005.27
उधारियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा आस्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा देयताएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12. व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)		
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)		
प्रति कर्मचारी निवल लाभ *(राशि रु करोड़ में)*	0.00	0.00

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन

आरबीआई द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

(राशि रु करोड़ में)

	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	0
3	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	0	0
3(i)	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

2. ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

(राशि रु करोड़ में)

शिकायतों के आधार, (अर्थात् मद विशेष संबंधी शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या का प्रतिशतता में वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
चालू वर्ष					
अन्य	-	0	0.00	-	-
ऋण और अग्रिम	-	0	0	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	0	0	0.00	0	-
पिछला वर्ष					
अन्य	-	0	0	-	-
ऋण और अग्रिम	-	0	0	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना /अत्यधिक शुल्क/मोचनरोध शुल्क लगाना	0	0	0	0	0

आरबीआई ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने करने के संबंध में दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सं. सीईपीडी.सीओ.पीआरडी. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण करने का परामर्श दिया था। इस प्रयोजन के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

15. प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

NIL

16. विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि , पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

NIL

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

NIL

भाग क : व्यवसाय खण्ड

(राशि रु करोड़ में)

व्यवसाय खंड		समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विवरण	**विव 2022**	**विव 2021**	**विव 2022**	**विव 2021**	**विव 2022**	**विव 2021**	**विव 2022**	**विव 2021**
1	**खंड राजस्व**								
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**खंड परिणाम**								
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविनिधानीय खर्चे	-	-	-	-	-	-	-	-
	परिचालन लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
	आयकर (पुनरांकन के बाद)	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**अन्य सूचना**								
	खंड आस्तियां	-	-	-	-	10,005	-	-	-
	अविनिधानीय आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल आस्तियां	-	-	-	-	10,005	-	-	-
	खण्ड देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविनिधानीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूंजी /आरक्षितियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

(ग) लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टियों का विवरण

संस्था का नाम	रिश्ते की प्रकृति
शून्य	

(ii) मुख्य प्रबंध कार्मिक

श्री. किशोर कुमार पोलुदासु	विशेष कार्य अधिकारी
श्री. मृणाल गोस्वामी	प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त
सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे	कंपनी सचिव

नोट: नैबफिड का कार्य कार्यबल टीम द्वारा सेकेंडमेंट आधार पर किया जा रहा है।

(iii) संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(राशि रु करोड़ में)

मदें /संबंधित पक्ष	**मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)**	**अनुषंगी**	**सहयोगी /संयुक्त उद्यम**	**मुख्य प्रबंध कार्मिक @**	**प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार**	**योग**
उधारियां #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अग्रिम #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अनिधिकृत वचनबद्धताएं#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-

प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
सेवा देना *	-	-	-	-	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति *	-	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं*	-	-	-	-	-	-	-

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है ।
* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ , लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

(घ) पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

क्रम सं.	पुनर्संरचित प्रकार →		एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण↓																
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है और इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है															
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टेखाते में डालना#	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर , जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

17.अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है. बीमांकिक लाभ /हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है , उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

के.वी. कामथ
(अध्यक्ष)
DIN: 00043501

स्थान - मुंबई
दिनांक: 16 जुलाई, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त)

किशोर कुमार पोलुदासु
(विशेष कार्य अधिकारी)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(राशि रु में)

31.03.2021		विवरण	31.03.2022	
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		पी एंड एल खाते के अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ		1,19,69,50,173
		के लिए समायोजन:		
-		मूल्यह्रास	55,585	
-		प्रारंभिक एक्सप्रेस w/o	-	
-		किए गए प्रावधान (वापस लिखने का शुद्ध)	1,30,00,000	
		निवेश पर अर्जित ब्याज	(89,88,60,391)	
-		निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	-	
-		अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	
-		निवेश पर प्राप्त लाभांश	-	
				(88,58,04,806)
-		**संचालन से उत्पन्न नकदी (i)**		**31,11,45,368**
		(परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले)		
		इसमें शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन:		
-		वर्तमान संपत्ति	(35,54,80,233)	
-		वर्तमान देनदारियां	77,27,941	
-		विनिमय बिल	-	
-		ऋण और अग्रिम।	-	
-		बांड और डिबेंचर और अन्य उधार की शुद्ध आय	-	
-		जमा प्राप्त	-	
-		(ii)		**(34,77,52,292)**
-		(i-ii)		(3,66,06,924)
-		कर का भुगतान (iii)	-	-
-		**परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (i-ii-iii)**		**(3,66,06,924)**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शुद्ध (खरीद) / अचल संपत्तियों की बिक्री	(4,54,269)	
-		शुद्ध (खरीद)/निवेशों की बिक्री	(1,00,05,27,46,460)	
-		निवेश पर प्राप्त लाभांश निवेश	-	
-		**गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी**		**(1,00,05,32,00,729)**

	3.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम जारी करने से प्राप्त पूंजी	2,00,00,00,00,000	
		प्राप्त अनुदान	50,00,00,00,000	
		अनुदान पर ब्याज	52,05,479	
-		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी**		**2,50,00,52,05,479**
-	**4.**	**नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)**		**1,49,91,53,97,826**
-	**5.**	**अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष**		**-**
-	**6.**	**अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष**		**1,49,91,53,97,826**
	7.	**अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं**		
-		कॅश हाथ में		-
-		बैंक के साथ चालू खाता शेष		4,06,741
-		म्यूचुअल फंड्स		-
-		जमा		1,49,91,49,91,085

नोट: कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस -3 (संशोधित) 'कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

के.वी. कामथ
(अध्यक्ष)
DIN: 00043501

स्थान - मुंबई
दिनांक: 16 जुलाई, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(प्रभारी, ट्रेजरी और वित्त)

किशोर कुमार पोलुदासु
(विशेष कार्य अधिकारी)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
National Bank for Financing Infrastructure and Development

NaBFID/2022/DFS/8 July 16, 2022

सचिव,
वितीय सेवा विभाग
वित मंत्रालय, भारत सरकार
तीसरी मंज़िल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

महोदय,

राष्ट्रीय अवसंरचना वितपोषण और विकास बैंक के वितीय वर्ष 2021-22
के काम काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा परिचालन की रिपोर्ट

राष्ट्रीय अवसंरचना वितपोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 की धारा 25 और 26(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज एतदद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

1) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वितपोषण और विकास बैंक के की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति के साथ बैलेंस शीट और लेखे की प्रति; तथा

2) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वितपोषण और विकास बैंक की परिचालन रिपोर्ट।

भवदीय,

संलग्नक 15 कॉपी यथोक्त

भी किशोर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
National Bank for Financing Infrastructure and Development

NaBFID/2022/RBI/5 July 28, 2022

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
सरकारी और बैंक लेखा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,
<u>मुंबई-400 008</u>

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के वित्तीय वर्ष 2021-22
<u>के काम काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा परिचालन की रिपोर्ट</u>

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 की धारा 25 और 26(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतदद्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

1) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति के साथ बैलेंस शीट और लेखे की प्रति; तथा

2) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की परिचालन रिपोर्ट।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

मुंबई
MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051